International Journal of History 2020; 2(2): 134-136

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
IJH 2020; 2(2): 134-136
Received: 15-06-2020
Accepted: 19-07-2020

Dr. Dhananjay Kumar Choudhary
Assistant Teacher, Middle School Pura Pupri, Samhauli Sitamarhi Bihar, India

Corresponding Author:
Dr. Dhananjay Kumar Choudhary
Assistant Teacher, Middle School Pura Pupri, Samhauli Sitamarhi Bihar, India

भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन एवं सामूहिक विकास की अवधारणाः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Dhananjay Kumar Choudhary

सारांश
भारत में पंचायतीराज की अवधारणा बहुत प्राचीन है। यहां प्राचीन संस्थाओं से सम्बन्धित अवधारणा को ही परिवर्तित स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। ''पंचायतीराज'' शब्द का अस्तित्व स्वतन्त्र भारत में श्री बलवन्तराय गोपाल जी मेहता के ''लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण' प्रतिवेदन से उदय हुआ, शाब्दिक दृष्टि से पंचायतीराज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों ''पंचायत'' और ''राज'' से मिलकर बना है जिसका संयुक्त अर्थ होता है पांच जनप्रतिनिधियों का शासन। भारत के प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थों में भी पंचायत अथवा ''पंचायती'' शब्द संस्कृत भाषा के ''पंचायतन्'' शब्द से उद्भूत हुआ है। संस्कृत भाषा ग्रन्थों के अनुसार किसी आध्यात्मिक पुरूष सहित पांच पुरूषों के समूह अथवा वर्ग को पंचायतन् के नाम से संबोधित किया जाता था। परन्तु शनैः शनैः पंचायत की इस आध्यात्मिकतायुक्त अवधारणा में परिवर्तन होता गया और वर्तमान में पंचायत की अवधारणा का अभिप्राय इस प्रकार की निर्वाचित सभा से है जिसकी सदस्य संख्या प्रधान सहित पांच होती है और जो स्थानीय स्तर के विवादों को हल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गांधी जी ने भी पंचायत शब्द की व्यख्या करते हुए लिखा है कि, ''पंचायत'' शब्द का शाब्दिक अर्थ ग्राम निवासियों द्वारा चयनित पांच जनप्रतिनिधियों की सभा से है।

मुख्य–शब्दः पंचायतीराज, जनप्रतिनिधियों, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

प्रस्तावना
भारतीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार पंचायत राज व्यवस्था रही है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही मनुष्य ने जब मनुष्यों में रहना सीखा, पंचायत राज के आदर्श एवं मूल सिद्धान्त उसकी चेतना में विकसित होते आए है। इस व्यवस्था को विभिन्न कालों में अलग–अलग नामों से पुकारा जाता रहा है। सहकारिता और आत्मनिर्भरता व स्वावलंबन, इन व्यवस्थाओं का मूल मंत्र रहा है। हमारे इतिहास में जब भी शासन व्यवस्था की चर्चा हुई है, राज्य के आश्रय से अलग एक व्यवस्था का उल्लेख भी आया है। चाहे उसे राज्य पर शर्म का प्रभाव कहा जाए या पंचों की राय माना जाए, लेकिन सार्वजनिक हित में काम करने की भावना हर स्थिति में बलवती रही है और यही भावना अनेक रूपों में प्रकट होती रही है। हमारे दर्शन, ग्रन्थों, इतिहास तथा साहित्य और समाज में भी सबको साथ लेकर चलने और सबके हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा को बल मिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय जन मानस की इस प्रवृत्ति को नया रूप देने का प्रयास किया कि समष्टि में ही व्यक्ति का अपना हित समाहित है।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन उनकी राजनीतिक सहभागिता लगभग नगण्य रही है। वर्तमान पंचायत राज सामाजिक समता नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है।
भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया जिससे देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में संतुलन आए। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खण्ड–(9) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 243 (द) (3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्देद 243 (द) (4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (द) के अनुसार अनूसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उनक जनसंख्या के अनुपात में ऐसा आरक्षण करना है जिससे इन्हीं वर्गों की महिलाओं हेतु ऐसे स्थानों के

एक तिहाई स्थान आरक्षित रहे।

स्थानीय स्वशासन लोगों की अपन स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है। अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुलकर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये नियमों एवं कानून के अनुरूप हो। दूसरे शब्दों मे 'स्वशासन' गांव के समुचित प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी है। यदि हम इतिहास को पलट कर देखें तो प्राचीन काल में भी स्थानीय स्वशासन विद्यमान था। सर्वप्रथम कुटुम्ब से कुनबे बने और कुनबों से समूह। यह समूह ही बाद में ग्राम कहलाये। इन समूहों की व्यवस्था प्रबन्धन के लिये लोगों ने कुछ नियम, कायदे कानून बनाये। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म माना जाता था। ये नियम समूह अथवा गांव में शाति व्यवस्था बनाये रखने, सहभागिता से कार्य करने व गांव में किसी प्रकार की समस्या होने पर उसके समाधान करने, तथा सामाजिक न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गांव का सम्पूर्ण प्रबन्धन तथा व्यवस्था इन्हीं नियमों के अनुसार होती थी। इन्हें समूह के लोग स्वयं बनाते थे व उसका क्रियान्वयन भी वही लोग करते थे। कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय स्वशासन में लोगों के पास वे सारे अधिकार हों जिससे वे विकास की प्रक्रिया को अपनी जरूरत और अपनी प्राथमिकता के आधार पर मनचाही दिशा दे सकें। वे स्वयं ही अपने लिये प्राथमिकता के आधार पर योजना बनायें और स्वयं ही उसका क्रियान्वयन भी करें। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल और जमीन पर भी उन्हीं का नियत्रंण हो ताकि उसके संवर्द्धन और संरक्षण की चिन्ता भी वे स्वयं ही करें। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की पीछे सदैव यही मूलधारणा रही है कि हमारे गांव, जो वर्षों से अपना शासन स्वयं चलाते रहे है। जिनकी अपनी एक न्याय व्यवस्था रही है, वे ही अपने विकास की दिशा तय करें। आज भी हमारे गई गांवों में परम्परागत रूप से स्थानीय स्वशासन की न्याय व्यवस्था विद्यमान है।

स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य

- गांव के लोगों की गांव में अपनी शासन व्यवस्था हो व गांव स्तर पर स्वयं की न्याय प्रक्रिया हो।
- ग्रामस्तरीय नियोजन, क्रियान्वयन व निगरानी में गांव के हर महिला पुरूष की सक्रिय भागीदारी हो।
- किस प्रकार का विकास चाहिये या किस प्रकार के निर्माण कार्य हों या गांव के संसाधनों का प्रबन्धन व संरक्षण कैसे होगा ये सभी बातें गांव वाले तय करेंगे।
- गांव की सब तरह की समस्याओं का समाधान गांव के लोगों की भागेदारी से ही हो।
- ऐसा शासन जहां लोग स्थानीय मुद्दो, गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके।
- स्थानीय स्तर पर स्वशासन को लागू करने का माध्यम गांव के लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त लोगों का समूह हो जिन्होंने सम्पूर्ण गांव का विकास, व्यवस्था व प्रबन्धन करना है। ऐसा समूह जिसका निर्णय सभी को मान्य हो।

स्थानीय स्वशासन कैसे मजबूत करें

- स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए सर्वप्रथम पंचायत में सुयोग्य प्रतिनिधियों का चयन होना आवश्यक है। पंचायत का नेतृत्व करने के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए जिसकी स्वच्छ छवि हो व वह निःस्वार्थ भाव वाला हो।
- स्थानीय ग्राम सभा पंचायती राज की नींव होती है। अगर ग्रामसभा के सदस्य सक्रिय होंगे व अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रह कर पंचायत के कार्यों में भागीदारी करेंगे, तभी स्थानीय स्वशासन मजबूत हो सकता है।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, संसाधनों का बेहतर उपयोग एवं उचित प्रबन्धन से ही विकास प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सकती है। अतः स्थानीय संसाधनो के बेहतर उपयोग द्वारा पंचायतें अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर ग्राम व ग्रामवासियों के विकास को गति प्रदान कर सकती है।
- स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत होगा जब गांव वासी अपनी आवश्यकता व प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं व कार्यक्रमों का नियोजन करेंगे व उनका स्वयं ही क्रियान्वय करेंगे। ऊपर से थोपी गयी परियोजनायें कभी भी ग्रामीणें में योजना के प्रति अपनत्व की भावना नहीं ला सकती, अतः सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ही योजनाएं बनानी होंगी तभी वास्तविक रूप से स्थानीय व स्वशासन मजबूत होगा।
- पंचायतों की मजबूती का एक महत्वपूर्ण पहलू है निष्पक्ष सामाजिक न्याय व्यवस्था व महिला पुरूष समानता को बढ़ावा देना। पंचायतें सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास को ग्राम स्तर पर लागू करने का माध्यम है। अतः समाज के वंचित, उपेक्षित व शोषित वर्ग को विकास प्रक्रिया में भागीदारी के समान अवसर प्रदान करने से ही पंचायती राज की मूल भावना ''लोक शासन'' को मूर्त रूप दे सकती है।
- युवा किसी भी देश व समाज के लिए पूँजी है। अनके अंदर प्रतिभा, शक्ति व हुनर विद्यमान है इस युवा शक्ति व प्रतिभा का पलायन रोककर व उनकी शक्ति व ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में सदुपयोग किया जाए तो वे स्थानीय स्तर पर पंचायतों की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- पंचायतीराज की मजबूती के लिए सत्ता का वास्तविक रूप में विकेन्द्रीकरण अर्थात कार्य, कार्मिक व वित्त सम्बन्धित वास्तविक अधिकार पंचायतों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। इनके बिना पंचायतें अपनी भूमिका व जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने में असमर्थ है।
- स्थानीय स्वशासन व ग्रामीण विकास में संबंध स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास एक दूसरे के पूरक है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से गांव की समस्याओं को प्राथमिकता मिल सकती है व ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- स्थानीय स्वशासन की आधारशिला पंचायत है अतः पंचायत के माध्यम से गांव के समुचित प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है।
- ग्राम विकास की समस्त योजनाएं गांव के लोागें द्वारा ही बनाई जायेंगी व लागू की जायेगी। इससे विकास कार्यों के प्रति सामूहिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय समुदाय का विकास की गतिविधयों में पूर्ण नियत्रंण।
- ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व एवं सब को समान महत्व मिलने से स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा। महिलाओं तथा कमजोर वर्गों की भागीदारी से ग्राम विकास की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
- मजबूत स्थानीय स्वशासन से किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा गांव स्तर पर ही किया जा सकता है।
- स्थानीय समुदाय की नियोजन व निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से विकास जनसमुदाय व गांव के हित में होगा। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान भी स्थानीय स्तर पर सबके निर्णय द्वारा होगा। स्थानीय संसाधनों का समुचित विकास व उपयोग होगा तथा सामूहिकता का विकास होगा।

निष्कर्ष

73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतें स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं। पंचायतें ग्राम, ब्लाक व जिला स्तर पर आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाएंगी जिसमें 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय भी शामिल हैं। अर्थात

पंचायतें आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाकर उनको क्रियान्वित करेंगी। इस कार्य के लिए पंचायतों की कार्यात्मक, वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्ता उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि बिना इस स्वायत्तता के पंचायतों के लिए पूर्ण रूप से संभव नहीं है कि वे लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। यही नहीं पंचायतों में आरक्षण के बाद पहली बार अधिक संख्या में समाज के गरीब तबके के लोग व महिलाएं भी चुनकर आई हैं। अधिकतर महिलाएं व पुरूष, जो इन वर्गों से चुनकर आए हैं, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े है। उनका सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ापन भी उनके लिए चुनौती है।

ग्रामीण समाज के दबे कुचले वर्ग में पिछले लगभग एक दशक के दौरान जागृति आई है। वे ग्रामीण समाज के उच्च वर्ग की शोषणप्रद आदतों व व्यवहारों के विरूद्ध आवाज नहीं उठा पाते, लेकिन उनकी आदतों व व्यवहार को समझने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। विभिन्न राज्यों में पंचायत प्रतिनिधियों के संगठन बने हैं, जिनमें निर्णय लिए गए हैं कि पंचायत अधिनियम में जहां–जहां नौकरशाही का नियत्रंण है उनमें संशोधन किया जाए। विभिन्न राज्यों में हुए पंचायतों के चुनावों में लोगों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया है। अनेक महिलाएं गैर सुरक्षित सीटों से जीतकर आई हैं। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रयासों से जनता में उनसे अपेक्षा बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में पंचायतों को अधिक संघर्ष करना होगा क्योंकि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के रास्ते में अनेक राजनैतिक, प्रशासनिक व सामाजिक बाधाएं आएंगी।

संदर्भ

1. महीपाल : पंचायती राज– अतीत, वर्तमान और भविष्य, सारांश प्रकाशन, दिल्ली, (1996), पृ. 126
2. श्रीवास्तव अरूण, : भारत में पंचायती राज, रावत पब्लिशर्स, जयपुर (1994), पृ. 102
3. कुमार नरेंद्र, राज मनोजः दलित लीडरशिप इन पंचायत्स, रावत पब्लिशर्स, जयपुर, 2006, पृ. 74
4. सिंह, धर्मेन्द्र : पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, रावत पब्लिशर्स, जयपुर (2007), पृ. 83
5. महीपाल : पंचायती राज – चुनौतियां एवं संभावनाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली (2004), पृ. 42